न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़

पीठासीन अधिकारीः— चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं0 121/2017 प्रार्थना पत्र

तुलसीराम पिता रतनलाल जाति ब्रा0निवासी मोठा

— प्रार्थीगण

//बनाम//

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा।

— विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ,136 रा0ले0रे0 एक्ट

प्रार्थीगण की और सेः— अधिवक्ता श्री इन्द्ररलाल भाम्बी उपस्थित

आदेश

दिनांकः—31-5-22

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 ले0रे0एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा मोठा प0ह0 अरनिया जोशी तह0 निम्बाहेडा आराजी न0 192 रकबा 0.1900 है0 लगानी 0.95 पैसे है यह कि उक्त आराजीयात में प्रार्थी का 1/2 हक हिस्सा होकर प्रार्थी ही काबिज होकर उपयोग उपभोग काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजीयात के पुराने आ0न0 64 मीन रकबा 15 बिस्वा आराजी राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।यह कि अभी एक माह पूर्व प्रार्थी अपनी आराजीयात की खाते की व नक्शे की नकल आराजीयात की सीमा जानकारी/पत्थरगढ़ी कराने हेतु आवश्यकता होने पर राजस्व अधिकारी पटवारी साहब प0ह0 नकल प्राप्त की जिससे मालुम हुआ कि वर्तमान में आराजी न0 192 को नक्शे में हेर फेर कर सेटलमेन्ट में गलत जगह खातेदार बाबरू मूल चन्द पिता भैरूलाल के कब्जे शुदा भूमि पर दिया है जब कि यह गलत है आराजी नम्बर 192 वर्तमान में आराजी नं. 199 के पश्चिम में व आराजी नम्बर 161 के उत्तर में स्थित होनी चाहिए प्रार्थी अभी वही पर काबिज होकर आराजीयात का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। सेटेलेन्ट में सेटलमेन्ट अधिकारियों ने उक्त आराजीयात को नक्शे में गलत अंकित कर दिया है जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की उक्त आ0न0 192 मोजा मोठा में स्थित है को कब्जे अनुसार नक्शे में सही तरमीम(दुरूस्ती)करने बाबत् निवेदन किया ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी के हवाले से प्रार्थी तुलसीराम पिता रतनलाल निवासी अरनियाजोशी द्वारा किये गये प्रार्थना पत्र आर.टी.ए. की मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तैयार की गई । मौके पर पाया गया कि मोजा मोटा की आराजी न0 192 रकबा 0.1900है0 दर्ज रेकार्ड होकर खातेदार वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

का 1/2 हिस्सा दर्ज है। उक्त आराजी न. 192 का गत आ.न.64 मी रकवा 111/4 बिस्वा था। जिसका नामान्तरण संख्या 330 से भूमि आवाप्ती से रकवा 111/4 में से 54 बिस्वा पीडब्लूडी सार्वाजनिक निमार्ण के नाम दर्ज किया गया था। जिसे यह साफ जाहिर होता है कि भूमि वर्तमान सडक से लगी हुई थी। नवीन नक्शा में वादी की खातेदारी भूमि का आराजी न. 192 रकवा 0.1900है0 को सडक से दुर आराजी न. 161 के दक्षिणी पूर्वी कोने में दर्शाया गया है। साथ ही आ0न0 192 का मिलान क्षैत्रफल में पुराना आराजी न. 64 के बजाय 640 दर्ज है साथ ही आ0न0 161 के खातेदार बाबरू पिता भेरूलाल 5/24 मुल चन्द पिता भेरूलाल 5/24 जानी बसंती पिता भेरूलाल 1/2 मांगीलाल पिता पन्नालाल 1/2 को प्रतिवादी बनाया जाकर सूनना आवश्यक होगा । अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में आदेशार्थ प्रस्तुत है।

हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। तहसीलदार निम्बाहेडा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी ने प्रकरण में आ0न0 161 के खातेदार बाबरू पिता भेरूलाल 5/24, मुल चन्द पिता भेरूलाल 5/24 जानी ,बसंती पिता भेरूलाल 1/2 ,मांगीलाल पिता पन्नालाल 1/2 को प्रतिवादी को पक्षकार नही बनाया है जबकि वह भी प्रभावित पक्ष है विना सभी प्रभावित पक्षों को सुने निर्णय दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के विपरित होगा एवं साथ ही आ0न0 192 का मिलान क्षैत्रफल में पुराना आराजी न. 64 के बजाय 640 दर्ज है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी को प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया जा सकता हैं ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 31.05.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा